

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 2012 / सेक-2-पांच-17-4(269) / 2016

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4789/सेक-2-पांच-16-4(269)/2016, दिनांक 26.12.2016 द्वारा डा0 अखिलेश कुमार(वरि0क0-5596), मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए जिला चिकित्सालय, मीरजापुर में वरिष्ठ परामर्शदाता(रेडियोलॉजिस्ट) के पद पर तैनात किया गया।

2- उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध डा0 अखिलेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-9861(एस/बी)/2017 डा0 अखिलेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2017 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

The petitioner has assailed the order dated 26.12.2016 passed by the Joint Secretary, Medical and Health Department, State Government, Lucknow whereby he has been transferred from the post of Chief Medical Officer, Kushi Nagar, District Hospital Mirzapur as Senior Consultant (Radiology).

Learned Counsel for the petitioner submits that transfer order impugned is based on dictate of one State Minister Agriculture, Education and Research and Medical Department. He has brought on record the letter dated 21.9.2016 written by the Hon'ble State Minister. A bare perusal of the letter shows that he had issued a direction to transfer the petitioner from Kushi Nagar and to post one Sri Dinesh Kumar Singh at his place. The said direction has been implemented by means of order impugned.

Since the transfer order is based on political dictate, prima-facie we are of the view that it is unsustainable, therefore, we hereby stay the said order dated 26.12.2016 till further order of this Court.

As prayed, four weeks' time is granted to learned Standing Counsel to file counter affidavit.

List thereafter.

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 05.05.2017 के अनुपालन में डा0 अखिलेश कुमार का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4789/सेक-2-पांच-16-4(269)/2016, दिनांक 26.12.2016 द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश को एतद्द्वारा मा0 न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।




पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2012 (1)/सेक-2-पांच-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि डा0 अखिलेश कुमार को आदेश की प्रति तामील कराते हुए तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 7- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मीरजापुर।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर।
- 9- कोषाधिकारी, कुशीनगर/मीरजापुर।
- 10- संबंधित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर)।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०एल० यादव)
अनुसचिव।